दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 22 फरवरी, 2024

उद्घोषित: 06 मार्च, 2024

सि.वा. (वाणि.) 112/2022 और अंतर.आ. 2695/2022

करीम होटल प्राइवेट लिमिटेड ..... वादी

दवारा : श्री दर्पण वाधवा, वरिष्ठ अधिवक्ता सह सुश्री दिविता व्यास, श्री आमेर वैद, श्री जे.एच. जाफरी, श्री अमिक खालिद, श्री मोहम्मद अफान, सुश्री विधि जैन और श्री शाहिद खान, अधिवक्तागण।

बनाम

करीम धनानी ..... प्रतिवादी

दवारा : श्री राजशेखर राव, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री विवेक सिंघी, सुश्री कृति मेवाड़, श्री हर्षिल वैसन और श्री यशराज सामंत, अधिवक्तागण।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनीश दयाल

<u>आदेश</u>

न्या. अनीश दयाल

1. यह आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ("**सि.प्र.सं.**") के आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत वादपत्र की अस्वीकृति के मुद्दे से संबंधित है जो निम्नलिखित संदर्भ में उत्पन्न हुआ:

(i) वादी ने वर्तमान वाद दायर करते हुए दावा किया कि वह व्यापार चिह्न "**करीम/करीम'एस/करीम**" (शब्द और उपकरण दोनों) और उसके व्यापारिक नाम मैसर्स करीम होटल प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें 'करीम' शब्द एक प्रमुख और आवश्यक विशेषता है, का स्वामी है। वादी के संस्थापक हाजी करीमुद्दीन ने 1913 में दिल्ली के जामा मस्जिद के पास पहला करीम रेस्टोरेंट खोला था। समय के साथ, उन्होंने अपने उच्च गुणवत्ता वाले मुगलई भोजन के लिए व्यापक प्रतिष्ठा हासिल की और उक्त रेस्टोरेंट प्रतिष्ठित बन गया।

(ii) वादी ने इन चिह्नों में पंजीकरण प्राप्त किया, जिनकी संख्या लगभग 50 थी, जिसमें वर्ग 16, 29, 30, 42, 43 सहित विभिन्न वर्ग शामिल थे। वादी ने www.karimhoteldelhi.com डोमेन नाम का भी उपयोग किया। वादी को दिसंबर 2014 में किसी समय प्रतिवादी द्वारा समान चिह्न 'करीम'एस' के उपयोग के बारे में पता चला, और उसने फरवरी 2015 में एक विधिक सूचना जारी की, जिसका प्रतिवादी ने मार्च 2015 में जवाब दिया।

(iii) इसके बाद, वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध सि.वा. (मू.प.) 1885/2015 (जिसे बाद में सि.वा. (वाणि) 526/2016 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया) शीर्षक ***"करीम होटल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम करीम ए. धनानी"*** वाद ("**पिछला वाद**") दायर किया। इसमें प्रतिवादी ने अभिवाक् दिया कि उसके पास 04 फरवरी, 2005 को वर्ग 42 में उपकरण चिह्न 'करीम'एस' सं. 1336349 के लिए पंजीकरण था। उक्त पंजीकरण पर विचार करते हुए, वादी ने बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड ("**आईपीएबी**"), मुंबई के समक्ष प्रतिवादी के चिह्न को रद्द करने की माँग करते हुए एक याचिका ("**रद्दकरण याचिका**") दायर की थी।

(iv) परिणामस्वरूप, इस न्यायालय ने पिछले वाद में दिनांक 17 फरवरी, 2016 के आदेश के माध्यम से निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"***<u>एल.ए. सं. 2316/2016</u>***

सूचना जारी की जाती है। वादी के विद्वान अधिवक्ता सूचना स्वीकार करते हैं।

यह आवेदन प्रतिवादी द्वारा व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 124 के अंतर्गत इस अभिवाक् के साथ दायर किया गया है कि वादी ने वादपत्र के पैराग्राफ 27 में प्रकट किया है कि वादी ने पहले ही, अर्थात् वाद दायर करने से पहले, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी), मुंबई के समक्ष व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 47/57/125 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत करके प्रतिवादी के नाम पर वर्ग 42 में संख्या 1336349 के अंतर्गत पंजीकृत प्रतिवादी के

व्यापार चिह्न "करीम'एस" (लोगो) को हटाने के लिए एक आवेदन दायर किया है। वाद में प्रतिवादी का बचाव अन्य बचावों के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 30(2)(ङ) पर आधारित है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए वाद रोक लगाए जाने के अधीन है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता आवेदन का विरोध नहीं करते हैं।

<u>तदनुसार, उपरोक्त सुधार आवेदन में आईपीएबी के निर्णय की प्रतीक्षा करने के लिए वाद पर रोक लगा दी गई है और इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है।</u>

(ज़ोर दिया गया)

(v) इसके बाद, जबकि रद्दकरण याचिका आईपीएबी, मुंबई के समक्ष लंबित थी, इस न्यायालय ने 16 नवंबर, 2017 को पिछले वाद में निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"वर्तमान वाद अतिलंघन, नकल, सुपुर्दगी, क्षति आदि पर रोक लगाने के लिए स्थायी व्यादेश देने के लिए दायर किया गया है।

वर्तमान वाद में इस न्यायालय द्वारा कोई व्यादेश आदेश पारित नहीं किया गया है।

बेशक, वादी ने प्रतिवादी के चिह्न को रद्द करने के लिए बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (संक्षेप में 'आईपीएबी') के समक्ष कार्यवाही दायर की है। आईपीएबी के परिणाम की प्रतीक्षा में वर्तमान वाद को 17 फरवरी, 2016 से बार-बार स्थगित किया जा रहा है।

इस न्यायालय का मत है कि वर्तमान वाद को बार-बार स्थगित करने से कोई सार्थक प्रयोजन पूरा नहीं होगा, क्योंकि न केवल आईपीएबी के समक्ष कार्यवाही में समय लगेगा, बल्कि आईपीएबी द्वारा पारित किसी भी आदेश को दोनों पक्षकारगण में से किसी के भी द्वारा चुनौती दी जा सकती है।

<u>परिणामस्वरूप, वर्तमान वाद और लंबित आवेदनों का निपटान वादी को यह स्वतंत्रता देने के साथ किया जाता है कि वे आईपीएबी द्वारा प्रतिवादी के चिह्न की रद्दकरण कार्यवाही का निपटान करने और उक्त आदेश के अंतिम रूप से लागू हो जाने के बाद उचित कार्यवाही दायर कर सकें। सभी पक्षकारगण के अधिकार और प्रतिविरोध अनिर्णीत छोड़े दिए गए हैं।</u>

रजिस्ट्री को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह वादी के एक प्राधिकृत प्रतिनिधि को एक प्रमाणपत्र जारी करे, जो उसे वर्तमान वाद में उनके द्वारा भुगतान किए गए न्यायालय के शुल्क की पूरी राशि कलेक्टर से वापस प्राप्त करने के लिए अधिकृत करे।

(ज़ोर दिया गया)

(vi) रद्दकरण याचिका आईपीएबी, मुंबई (2021 में आईपीएबी के उत्सादन के बाद) से बॉम्बे उच्च न्यायालय में अंतरित कर दी गई थी, और तब से लंबित है। इस बीच, वादी द्वारा यह वाद, सि.वा. (वाणि.) 112/2022 के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनिवार्य रूप से आग्रह किया गया कि रद्दकरण याचिका के निपटान में लंबी देरी के कारण, प्रतिवादी ने अपने रेस्टोरेंट व्यवसाय का विस्तार करना शुरू

कर दिया, जिसके पास विभिन्न शहरों में 50 से अधिक फ्रैंचाइजी हैं और इसलिए, उस पर रोक लगाने की माँग की।

(vii) इस न्यायालय ने 17 फरवरी, 2022 को प्रतिवादी को उन रेस्टोरेंट्स की सूची दाखिल करने का निर्देश दिया जो 'करीम'एस' के नाम से चल रहे थे। उक्त शपथपत्र अंततः दाखिल किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि वे 41 रेस्टोरेंट चला रहे थे, जिसका विवरण 27 मई, 2022 के आदेश में उद्धृत किया गया था। उसी आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने अभिवाकों पर विचार किया और प्रतिवादी के विरुद्ध एक आदेश पारित कर उन्हें "करीम/करीम'एस/करीम/करीम'एस" या किसी अन्य चिह्न, जो भ्रामक रूप से समरूप थे, के अंतर्गत कोई और रेस्टोरेंट खोलने से रोक दिया गया, तथा निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया:

> *"13. यह न्यायालय उल्लेख करता है कि यह पक्षकारगण के बीच मुकदमेबाजी का दूसरा दौर है। अभिलेखों के परिशीलन से पता चलता है कि वादी वर्ष 1913 से मुगलई भोजन और उत्तर भारतीय व्यंजनों के लिए "करीम/करीम'एस/करीम" चिह्नों का पूर्व स्वामी और उपयोगकर्ता है। प्रतिवादी द्वारा आक्षेपित चिह्न को अपनाना 2003 से स्वीकार किया गया है, जो वादी द्वारा अपनाए जाने के लगभग 90 वर्ष बाद है। मुकदमेबाजी के पहले दौर में, वाद को शुरू में स्थगित कर दिया गया था और उसके बाद, वादी को रद्दकरण याचिका में आईपीडी द्वारा निर्णय लेने के बाद कार्यवाही दायर करने*

की अनुमति देते हुए उसका निपटान कर दिया गया था। दुर्भाग्य से, हालाँकि, उक्त रद्दकरण याचिका लंबित बनी हुई है और आगे नहीं बढ़ी है। अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के अधिनियमन के साथ, आईपीएबी का भी उत्सादन कर दिया गया है और इस प्रकार मामले को अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय में अंतरित करना होगा। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मामला अभी सूचीबद्ध होना है तथा वादी को उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

*14. **इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वादी "करीम/करीम'एस/करीम" चिह्नों का पूर्व उपयोगकर्ता, अपनाने वाला और स्वामी है, प्रतिवादी द्वारा उक्त चिह्न का निरंतर उपयोग नकल करने और धोखाधड़ी का परिणाम होगा। हालाँकि, प्रतिवादी ने ऊपर दी गई सूची के अनुसार पहले से ही 41 रेस्टोरेंट खोल लिए हैं, अतः इस न्यायालय की राय है कि संतुलन बनाए रखना होगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी पक्ष पर अपूरणीय प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।** वादी के चिह्न "करीम/करीम'एस/करीम" को लंबे समय से अपनाए जाने और वादी के रेस्टोरेंट की सद्भावना और प्रतिष्ठा, न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, के कारण, यह न्यायालय निम्नलिखित निर्देश जारी करता है:*

(i) प्रतिवादी अगली सुनवाई की तिथि तक "करीम/करीम'एस/करीम/करीम'एस" या किसी अन्य चिह्न के अंतर्गत कोई और रेस्टोरेंट नहीं खोलेगा जो वादी के चिह्न "करीम/करीम'एस/करीम" के समरूप या भ्रामक रूप से समान हो। उक्त आदेश प्रतिवादी के साथ-साथ किसी भी उस इकाई पर लागू होगा जिसे

प्रतिवादी या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रोत्साहित/निगमित/संबद्ध किया जा सकता है।

(iii) प्रतिवादी यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा या उसके फ्रेंचाइजी द्वारा चलाए जा रहे रेस्टोरेंट में ग्राहकों को यह नहीं बताया जाएगा कि प्रतिवादी जामा मस्जिद या दिल्ली के वादी-करीम/करीम'एस/करीम रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ है।

(iv) इस संबंध में, महाराष्ट्र और उत्तर भारत में प्रसारित होने वाले प्रमुख समाचार पत्रों में कम से कम दो सार्वजनिक सूचनाएँ जारी की जाएँगी, कि प्रतिवादी का रेस्टोरेंट करीम'एस वादी के करीम होटल प्राइवेट लिमिटेड या जामा मस्जिद या दिल्ली के करीम/करीम'एस/करीम रेस्टोरेंट से संबद्ध नहीं है। उक्त सूचनाएँ अगली तिथि तक प्रकाशित की जाएँगी।

(v) सोशल मीडिया और ऑनलाइन मंच पर सभी प्रचारों सहित सभी विज्ञापन और प्रचार सामग्री, मेनू कार्ड आदि में निम्नलिखित प्रभाव का एक प्रमुख अस्वीकरण होना चाहिए:

"जामा मस्जिद/दिल्ली के करीम'एस से कोई संबंध नहीं है।"

(vi) सभी मौजूदा और भविष्य की प्रचार सामग्री के संबंध में अस्वीकरण का उपरोक्त समावेश दो सप्ताह के भीतर प्रभावी किया जाएगा।"

(ज़ोर दिया गया)

(viii) सि.वा. (वाणि.) 526/2016 अर्थात् पिछले वाद का निपटान करने वाले 16 नवंबर, 2017 के आदेश को वादी द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी

और इसलिए इसे अंतिम माना जाएगा। रद्दकरण याचिका बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। इस संदर्भ में, इस न्यायालय की पूर्ववर्ती पीठ ने 24 मार्च, 2023 को चिंता व्यक्त की कि क्या वादी को पिछले वाद में 16 नवंबर, 2017 के आदेश का उल्लंघन करते हुए वर्तमान वाद दायर करने की अनुमति दी जा सकती है। उक्त टिप्पणी को संदर्भ के लिए यहाँ उद्धृत किया गया है:

> *"15. मेरे विचार से, यह संदिग्ध है कि क्या उस आधार पर वादी वर्तमान वाद दायर कर सकता था। पहले के वाद सि.वा. (वाणि.) 526/2016 में माँगी गई राहतें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी कि वर्तमान वाद में माँगी गई हैं। सि.वा. (वाणि.) 526/2016 के निपटान के बाद, वादी के लिए, प्रथम दृष्टया, उन्हीं राहतों के लिए नया वाद दायर करना संभव नहीं था। ऐसा कोई भी वाद, यदि दायर किया जाता है, तो वह सि.वा. (वाणि.) 526/2016 के निपटान के दौरान न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के अनुसार ही हो सकता है। उस स्वतंत्रता ने वादी को आई.पी.ए.बी. में कार्यवाही के अंतिम रूप लेने के बाद ही न्यायालय में पुनः जाने की अनुमति दी थी। उस आदेश को वादी द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई और इसलिए, उसे स्वीकार कर लिया गया। वादी, प्रथम दृष्टया, 16 नवंबर 2017 के आदेश का उल्लंघन करते हुए वर्तमान वाद दायर करने की माँग नहीं कर सकता है, जिसके अंतर्गत सि.वा. (वाणि.) 526/2016 का निपटान किया गया था।*
>
> *16. **<u>इन परिस्थितियों में, वादी को यह स्पष्ट करना होगा कि वर्तमान वाद को सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत क्यों न खारिज कर दिया जाए।</u>***

*17. **इसलिए, वादी को कारण बताना चाहिए कि यदि आवश्यक हो तो वर्तमान वाद को सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत क्यों न खारिज कर दिया जाए, साथ ही वादी को सि.वा. (वाणि.) 526/2016 में पारित दिनांक 16 नवंबर 2017 के आदेश के अनुसार उचित चरण में न्यायालय में पुनः जाने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखनी चाहिए।"***

(ज़ोर दिया गया)

(ix) इस बीच, वादी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में एक अंतरण याचिका, अंतरण याचिका सिविल सं. 2880/2022 प्रस्तुत की गई, जिसमें बॉम्बे में लंबित उनकी रद्दकरण याचिका को इस न्यायालय में अंतरित करने की माँग की गई, ताकि वाद के साथ ही इस पर सुनवाई की जा सके। हालाँकि, चूँकि सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत वादपत्र को अस्वीकार करने का मुद्दा इस न्यायालय द्वारा पहले ही उठाया जा चुका था, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने 15 मई, 2023 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"यह कहा गया है कि जहाँ तक दिल्ली में याचिकाकर्ता द्वारा दायर वाद का प्रश्न है, इस पहलू पर कल विचार किया जाना है कि क्या यह वादपत्र सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत अस्वीकार किए जाने योग्य है। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस अंतरण याचिका पर उसके बाद विचार किया जाएगा क्योंकि यदि वादपत्र अस्वीकार कर दिया जाता है तो बॉम्बे की कार्यवाहियों को दिल्ली अंतरित करने का कोई आधार नहीं है, किंतु यदि

वाद दिल्ली में जारी रहता है, तो उस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए।

अगस्त, 2023 के पहले सप्ताह में सूचीबद्ध किया गया।"

2. तदनुसार, सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत वादपत्र को अस्वीकार करने के मुद्दे पर पक्षकारगण के अधिवक्तागण को सुना गया।

<u>प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

3. प्रतिवादी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजशेखर राव ने वादपत्र की अस्वीकृति के समर्थन में निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

(i) पिछले वाद में 16 नवंबर, 2017 को दिए गए आदेश को वादी ने कभी चुनौती नहीं दी और यह अंतिम हो गया है। उनके पास एकमात्र विकल्प रद्दकरण याचिका के निपटान की प्रतीक्षा करना था।

(ii) प्रतिवादी ने सि.प्र.सं. के आदेश XXIII नियम 3 के अंतर्गत अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया, जिसमें याचिका पुनः दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेने का अधिकार था, इसलिए, उन्हें दूसरा वाद प्रस्तुत करने से रोक दिया गया। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 115 के अंतर्गत विबंध के सिद्धांत के अनुप्रयोग पर भी उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया।

(iii) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 124 के अंतर्गत आवेदन, अं.आ. 2316/2016, पहले

से ही पिछले वाद में प्रभावी किया गया था जिसमें 17 फरवरी, 2016 को वाद पर रोक लगाने का आदेश पारित किया गया था। उस स्तर पर, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 124(5) के अंतर्गत वादी द्वारा कोई राहत नहीं माँगी गई थी और इसलिए, अवसर को छोड़ दिया गया है।

(iv) 16 नवंबर, 2017 को पिछले वाद का निपटान करते समय, इस न्यायालय ने वादी के पक्ष में कोई व्यादेश नहीं दिया था और इसलिए यह निर्णय अंतिम था।

(v) इन तथ्यों और परिस्थितियों के बावजूद, न्यायालय ने 27 मई, 2022 को व्यादेश का आदेश पारित कर प्रतिवादी को आगे कोई भी रेस्टोरेंट खोलने से रोक दिया।

(vi) सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11(क) और नियम 11(ख) दोनों ही लागू होते हैं क्योंकि वर्तमान वाद "वाद हेतुक का प्रकटीकरण नहीं करता" और "विधि द्वारा वर्जित" है। प्रतिवादी के वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि, सि.प्र.सं. के आदेश XXIII नियम 3 और आदेश II नियम 2 दोनों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का उपयोग करते हुए, एक बार जब वादी को दावा करने का अवसर मिला तो उन्हें ऐसा करना चाहिए था या उन्हें एक नया वाद दायर करने की स्वतंत्रता के साथ अपना पिछला वाद वापस ले लेना चाहिए था।

(vii) वादी अनुमोदन और निन्दा में लिप्त नहीं हो सकता था और जैसा कि दबाव डाला गया था, उनके व्यापार चिह्न की नकल की राहत के लिए एक निष्कर्ष और अंतिम निर्णय होना चाहिए।

(viii) ***भार्गवी कंस्ट्रक्शन बनाम कोथाकापु मुथ्यम रेड्डी,*** (2018) 13 एससीसी 480 पर भरोसा करते हुए प्रतिवाद दिया गया कि "किसी भी विधि द्वारा वर्जित" में न्यायाधीश द्वारा बनाई गई विधि भी शामिल होगी। पैरा 10 और 26 का संदर्भ दिया गया। तदनुसार, यह प्रतिवाद दिया गया कि 16 नवंबर, 2017 का निर्णय, इसलिए, सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11(घ) में "किसी भी विधि द्वारा वर्जित" वाक्यांश के अंतर्गत आएगा।

(ix) ***मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्रा.) लिमिटेड बनाम गोल्डन चैरियट एयरपोर्ट,*** (2010) 10 एससीसी 422 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया गया, जिसमें अनुमोदन और निंदा पर प्रतिबंध लगाने वाले सामान्य विधि सिद्धांत को दोहराया गया, जो कि विबंध विधि का एक पहलू है।

(x) सि.प्र.सं. के आदेश II नियम 2 में अंतर्निहित सिद्धांत के समर्थन में ***हिमालयन कॉर्पोरेशन (एचएमसी) बनाम उप-खंड दंडाधिकारी और अन्य,*** 2019 एससीसी ऑनलाइन एचपी 2699 में हिमाचल प्रदेश

उच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया गया, जिसे रिट याचिका पर लागू अभिनिर्धारित किया गया था।

<u>वादी की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

4. वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दर्पण वाधवा ने जवाब में निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

(i) सि.प्र.सं. की धारा 12 तभी आगे कोई वाद दायर करने पर वर्जन लगाती है जब वादी को नियमों के अंतर्गत आगे कोई वाद दायर करने से रोका गया हो। सि.प्र.सं. की धारा 11, अगर संयोजन में पढ़ी जाए, तभी किसी वाद पर वर्जन लगाती है जब वाद के मुद्दे प्रत्यक्षतः और मूलतः पहले वाले वाद से संबंधित रहे हों और ऐसे न्यायालय द्वारा उन पर सुनवाई भी की गई हो और अंतिम निर्णय भी सुनाया गया हो। यह देखते हुए कि पिछले वाद में 16 नवंबर, 2017 का आदेश न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं था, यह धारा 11 के अंतर्गत मान्य नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने सि.प्र.सं. की धारा 11 के स्पष्टीकरण VIII का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, पूर्व न्याय तब लागू होता है जब तीन शर्तें - अर्थात जो मामला इस वाद में प्रत्यक्षतः और मूलतः विवाद में है, पिछले वाद में भी प्रत्यक्षतः और मूलतः वही मुद्दा था, पहले का वाद भी उन्हीं पक्षकारगण के बीच था, तथा

मुद्दों पर पहले के वाद में अंतिम रूप से निर्णय हो चुका है, पूरी होती हैं।

(ii) वर्तमान वाद के वर्जन के लिए विधि का कोई स्पष्ट निषेध नहीं है। सि.प्र.सं. के आदेश II नियम 2 के अंतर्गत सामान्य सिद्धांतों पर निर्भरता वादी को रोक नहीं सकती है और न ही यह वर्तमान मामले में लागू होगी, क्योंकि यह राहत के एक संक्षिप्त समूह के बारे में नहीं है।

(iii) सि.प्र.सं. की धारा 9 वादी को तब तक कोई भी वाद दायर करने की अनुमति देती है जब तक कि कोई वाद हेतुक मौजूद हो। 16 नवंबर, 2017 को पिछले वाद के निपटान के बाद वाद हेतुक इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि प्रतिवादी ने अपने व्यवसाय का बहुत विस्तार किया था, जो 27 मई, 2022 के आदेश से स्पष्ट है, और वर्तमान में 41 रेस्टोरेंट चला रहा है। इसलिए, वाद हेतुक व्यवसाय के व्यापक विस्तार के कारण उत्पन्न हुआ जो पिछले वाद में 16 नवंबर, 2017 के आदेश के बाद हुआ था।

(iv) न्यायालय द्वारा रद्दकरण याचिका और 16 नवंबर, 2017 के आदेश से संबंधित सभी पूर्व तथ्यों पर विचार करने और उनका संज्ञान लेने के बाद वादी को 27 मई, 2022 के आदेश द्वारा उनके पक्ष में व्यादेश प्रदान किया गया।

(v) केवल 16 नवंबर, 2017 के आदेश के अनुसार पिछले वाद के संक्षिप्त निपटान के कारण, प्रतिवादी को वादी के अहित के लिए अपने व्यवसाय का विस्तार करने की पूरी छूट नहीं मिल सकती। 1913 में अपना चिह्न अपनाने और स्वयं के पक्ष में पंजीकरण होने के बावजूद वादी समाधानहीन नहीं हो सकता।

(vi) ***बंगाल वाटरप्रूफ लिमिटेड बनाम बॉम्बे वाटरप्रूफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी***, (1997) 1 एससीसी 99 पर भरोसा किया गया, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया था कि वादी की शिकायत पिछले वाद के दायर होने के बाद भी प्रतिवादी की ओर से लगातार अतिलंघन और लगातार नकल करने के संबंध में थी और इसलिए, वादी के पक्ष में नया वाद हेतुक उत्पन्न होगा।

(vii) ***श्रीहरि हनुमानदास तोतला बनाम हेमंत विट्ठल कामत,*** (2021) 9 एससीसी 99 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया, जिसमें सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11(घ) के अंतर्गत एक आवेदन पर निर्णय लेने के सिद्धांतों का सारांश दिया गया है। यह प्रस्तुत किया गया कि, आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत एक आवेदन में, केवल वादपत्र के साथ दिए गए प्रकथनों को संदर्भित करना होगा और प्रतिवादी के बचाव पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

(viii) वर्तमान वाद में वादपत्र के पैरा 30, 31, 32 और 35 पर भरोसा किया गया, जिसमें बयान दिया गया है कि वादी को दिन-प्रतिदिन लगातार हानि हो रही है क्योंकि प्रतिवादी अपने व्यवसाय का विस्तार करने की धमकी दे रहा था। 16 नवंबर, 2017 के आदेश ने पिछले वाद का निपटान इस उम्मीद में किया कि रद्दकरण याचिका पर विचार किया जाएगा। हालाँकि, रद्दकरण याचिका के लंबे समय तक लंबित रहने के कारण वादी समाधानहीन नहीं हो सकता।

(ix) अन्यथा भी, पिछले वाद में दिनांक 16 नवंबर, 2017 का आदेश, न्यायनिर्णयन के बाद याचिका का अंतिम रूप से निपटान नहीं करता है, वरन् वादी को प्रतिवर्तित करने की स्वतंत्रता देता है, और इसलिए, पिछले वाद में कोई अंतिम समापन नहीं हुआ था।

5. प्रतिवादी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजशेखर राव ने प्रत्युत्तर में ***बंगाल वॉटरप्रूफ लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) को अलग करते हुए कहा कि यहाँ कोई बाद का वाद हेतुक नहीं था, किंतु वादी ने पहले से ही पिछले वाद में वाद हेतुक जारी रखने का अभिवाक् दिया था और इसलिए, यह ऐसी स्थिति नहीं थी जो पिछले वाद के दायर होने से पहले निर्धारित किए गए वाद हेतुक और उसके बाद बिल्कुल नया वाद हेतुक उत्पन्न होने के समान हो [जैसा कि ***बंगाल वॉटरप्रूफ लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) के पैरा 10 में अनुध्यात किया गया है]। इसके लिए, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राव ने पिछले वाद के पैरा 31 पर भरोसा किया।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

6. पक्षकारगण के प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय की राय है कि सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत वादपत्र को अस्वीकार करने का मुद्दा, जिसे इस न्यायालय के पूर्ववर्ती पीठ द्वारा चिंता के रूप में उठाया गया था, प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत नहीं किया जा सकता है और वर्तमान वाद निम्नलिखित कारणों से अस्तित्व में रहना चाहिए:

(i) पिछले वाद में 16 नवंबर, 2017 के आदेश से यह स्पष्ट है कि न्यायालय ने इस मामले का निपटान करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग किया, क्योंकि आईपीएबी, मुंबई के समक्ष कार्यवाही लंबित होने के कारण बार-बार स्थगन हुआ था। इसलिए, न्यायालय ने रद्दकरण के मुद्दे के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करना उचित समझा।

(ii) इस बात को रेखांकित और उजागर किया गया है कि उक्त आदेश में न्यायालय ने उल्लेख किया है कि *<u>"सभी पक्षकारगण के अधिकार और प्रतिविरोध अनिर्णीत छोड़े गए हैं"</u>* और वादी को *<u>"आईपीएबी द्वारा प्रतिवादी के चिह्न के रद्दकरण कार्यवाही का निपटान करने और उक्त आदेश के ...अंतिम रूप प्राप्त करने के बाद उचित कार्यवाही दायर करने की"</u>* स्वतंत्रता दी गई थी। उस स्तर पर स्वतंत्रता इस सद्भावनापूर्ण धारणा पर दी गई थी कि आईपीएबी, मुंबई के समक्ष दायर रद्दकरण याचिका का शीघ्रता से निपटान किया जाएगा, किंतु

ऐसा नहीं हुआ। आईपीएबी, मुंबई के समक्ष दायर कार्यवाही 2021 में आईपीएबी के उत्सादन के बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय में अंतरित कर दी गई थी, और उच्च न्यायालय ने उस समय सीमा के बारे में कोई संकेत नहीं दिया जिसमें रद्दकरण याचिका का न्यायनिर्णयन किया जाएगा। इस समस्या का सामना करते हुए, वादी ने न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का उपयोग किया, यद्यपि रद्दकरण कार्यवाही समाप्त होने से पहले, और वर्तमान वाद दायर किया।

(iii) सि.प्र.सं. की धारा 11 में निहित पूर्व न्याय का सिद्धांत निश्चित रूप से वर्तमान वाद पर लागू नहीं होगा, यह देखते हुए कि 16 नवंबर, 2017 के आदेश के अनुसार पिछले वाद में कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ था। न्यायालय द्वारा इस तथ्य का उल्लेख किया जाना कि पक्षकारगण के अधिकार और प्रतिविरोध अनिर्णीत रहेंगे, अपने आप में इस बात का निर्णायक संकेत है कि कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला था। इसलिए, सि.प्र.सं. की धारा 11 इस मामले में बाधा नहीं बनेगी, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***श्रीहरि हनुमानदास तौतला*** (पूर्वोक्त) में निम्नलिखित शब्दों में उल्लेख किया है:

> *"25. उपरोक्त प्राधिकारियों के परिशीलन से, आदेश 7 नियम 11(घ) के अंतर्गत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है:*

25.1. किसी वादपत्र को इस आधार पर खारिज करने के लिए कि वह वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, केवल वादपत्र में दिए गए प्रकथनों का ही संदर्भ देना होगा।

25.2. आवेदन के गुणागुण पर निर्णय करते समय प्रतिवादी द्वारा वाद में किए गए बचाव पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

*25.3. **यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई वाद पूर्व न्याय द्वारा वर्जित है, यह आवश्यक है कि (i) "पिछले वाद" का निर्णय हो गया हो, (ii) बाद में दायर वाद के मुद्दे प्रत्यक्षतः और मूलतः पिछले वाद के भी मुद्दे थे; (iii) पिछला वाद उन्हीं पक्षकारगण या उन पक्षकारगण के बीच था जिनके माध्यम से वे दावा, तथा उसी शीर्षक के अंतर्गत मुकदमा कर रहे थे; और (iv) कि इन मुद्दों पर बाद के वाद का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णयन किया गया था तथा अंतिम रूप से निर्णय दिया गया था।***

*25.4. **चूँकि पूर्व न्याय के अभिवाक् के न्यायनिर्णयन के लिए "पिछले वाद" के अभिवाकों, मुद्दों और निर्णय पर विचार करने की आवश्यकता होती है, ऐसा अभिवाक् आदेश 7 नियम 11(घ) के दायरे से बाहर होगा, जहाँ केवल वादपत्र में दिए गए बयानों का ही परिशीलन करना होगा।"***

(ज़ोर दिया गया)

(iv) सि.प्र.सं. के आदेश II नियम 2 को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत, भले ही प्रतिवादी के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा सुझाए गए हों, स्पष्ट रूप से लागू नहीं होंगे। यह किसी का मामला नहीं है कि पूरा वाद हेतुक पिछले वाद में नहीं बताया गया था और वाद हेतुक का दूसरा हिस्सा

बाद में उठाया जा रहा था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तथ्य और परिस्थितियाँ सि.प्र.सं. के आदेश II नियम 2 के अंतर्गत बाद के वाद पर प्रतिबंध लगाने के योग्य नहीं हैं। यह देखा जाना चाहिए कि क्या बाद में कोई वाद हेतुक था जिसके कारण वादी को वर्तमान वाद दायर करना पड़ा।

(v) बाद के वाद हेतुक के संबंध में, इस न्यायालय ने 27 मई, 2022 के आदेश में पहले ही उल्लेख किया है, जैसा कि प्रतिवादी द्वारा दायर शपथपत्र से प्रमाणित है, कि प्रतिवादी वर्तमान में 'करीम'एस' नाम से 40 रेस्टोरेंट संचालित कर रहा है। यह स्पष्ट रूप से वादी के दावे के लिए अहितकारी था। व्यवसाय के इतने बड़े विस्तार ने, एक ऐसे चिह्न में जिसके बारे में भ्रामक रूप से समान होने का दावा किया गया था, स्वाभाविक रूप से वादी को 16 नवंबर, 2017 के निपटान को टालने के लिए एक नया वाद दायर करने के लिए प्रेरित किया।

(vi) इस न्यायालय की राय में, नकल की कथित निरंतर कार्रवाई की बाद की घटनाएँ वादी को वाद हेतुक प्रदान करेंगी। पिछले वाद में निरंतर वाद हेतुक का उल्लेख मात्र इस कारण से प्रासंगिक नहीं होगा कि पिछले वाद का समापन पक्षकारगण के अधिकारों और प्रतिविरोधों के निर्धारण के बिना निपटान में हुआ था। वादी इस स्थिति में समाधानहीन नहीं हो सकता क्योंकि बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा

रद्दकरण याचिका के अंतिम न्यायनिर्णयन की अनुपस्थिति उनके लिए नुकसानदेह नहीं हो सकती। इसलिए, यह न्यायालय का कर्तव्य बनता है कि वह दावा करने वाले पक्ष को समाधान प्रदान करे, जिसने इस तरह की स्थिति का सामना किया है।

(vii) ***भार्गवी कंस्ट्रक्शन*** (पूर्वोक्त) पर प्रतिवादी के वरिष्ठ अधिवक्ता का भरोसा हमें इस कारण से प्रभावित नहीं करता है कि सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11(घ) के अंतर्गत न्यायिक निर्णयों को "विधि" के रूप में शामिल करना इन परिस्थितियों में प्रभावी नहीं हो सकता है। पिछले वाद में 16 नवंबर, 2017 के आदेश द्वारा कोई विधि निर्धारित नहीं की गई थी। यह केवल एक संक्षिप्त निपटान था जिसमें पक्षकारगण के सभी अधिकार और प्रतिविरोध अनिर्णीत रखे गए थे, और पक्षकारगण को बाद की तिथि में निर्णय लेने के लिए भेज दिया गया था।

(viii) वास्तव में, ***बंगाल वॉटरप्रूफ लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय बाद के वाद हेतुक के मुद्दे के संबंध में अधिक शिक्षाप्रद है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 10 में निम्नलिखित टिप्पणी की:

"10. .....

दूसरे वाद अर्थात् वर्तमान वाद में शिकायत प्रतिवादीगण द्वारा 1980 में किए गए कथित अतिलंघन या नकल करने के किसी कृत्य पर आधारित नहीं है, ***<u>बल्कि वादी की शिकायत उसके व्यापार चिह्न 'डक बैक' के अतिलंघन के निरंतर कृत्यों और पहले के वाद के दायर होने के बाद प्रतिवादीगण की ओर से निरंतर नकल करने के कृत्य के संबंध में है, जो 1982 के दूसरे वाद की तिथि तक जारी रहा था।</u>***

.....

<u>इस वर्तमान दूसरे वाद को दायर करने का वाद हेतुक वर्तमान दूसरे वाद के दायर होने तक प्रतिवादीगण द्वारा वादी के व्यापार चिह्न का लगातार और आवर्ती अतिलंघन है।</u>"

(ज़ोर दिया गया)

(ix) सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले वाद में, न्यायालय ने 16 नवंबर, 2017 को वादी को रद्दकरण याचिका पर अंतिम न्यायनिर्णयन के बाद अपने समाधान को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता दी थी, और यह इस परिस्थिति में है कि वादी को समाधानहीन और अनियत, अनिश्चित और अनिर्धारित स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता है। सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत वादपत्र को अस्वीकार करने के मुद्दे पर प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय करने का अर्थ होगा कि वादी एक अटूट बंधन में फँस गया है। इसमें, न तो वह 1913 से अपने द्वारा दावा किए गए चिह्न पर अपने स्वामित्व का

दावा करने के लिए एक नया वाद शुरू कर सकता है और न ही वह रद्दकरण याचिका में समय निर्धारित न्यायनिर्णयन करने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय पर दबाव डाल सकता है। वह पिछले वाद में पाँच साल पहले पारित 16 नवंबर, 2017 के आदेश के पुनर्विलोकन/स्पष्टीकरण के लिए भी आसानी से माँग नहीं कर सकता है। ये परिस्थितियाँ, संभवतः, इस न्यायालय को भी प्रस्तुत की गई थीं जब उसने 27 मई, 2022 का आदेश पारित किया।

(x) वास्तव में, दिनांक 27 मई, 2022 के आदेश के अनुसार, पिछले वाद की परिस्थितियों को वास्तव में न्यायालय द्वारा ध्यान में लिया गया था और इस न्यायालय के निष्कर्ष पर निम्नलिखित शब्दों में व्यादेश जारी किया गया था:

> *"इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वादी "करीम/करीम'एस/करीम" चिह्नों का पूर्व उपयोगकर्ता, अपनाने वाला और स्वामी है, प्रतिवादी द्वारा उक्त चिह्न का निरंतर उपयोग करना नकल और धोखाधड़ी होगी।"*

यदि प्रतिवादी को 27 मई, 2022 को दिए गए उक्त व्यादेश से कोई समस्या होती, तो वे इस आदेश को अपील में चुनौती देते, जो उन्होंने नहीं किया और इसलिए, उक्त निष्कर्ष, भले ही प्रथम दृष्टया, वादी के लाभ में होगा।

7. तदनुसार, सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत वादपत्र को अस्वीकार करने का मुद्दा वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध तय किया जाता है, और दायर किया गया वाद अस्तित्व में रहेगा।

अं.आ. 2695/2022 (*सि.प्र.सं. के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के अंतर्गत आवेदन*)

8. 12 जुलाई, 2024 को सूचीबद्ध किया गया।

9. आदेश इस न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

(अनीश दयाल)
न्यायाधीश

फरवरी 06 मार्च, 2024/एमके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*